

समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र

प्रपत्र मूल्य - ₹500.00 (पांच सौ) रुपये (निविदा प्रपत्र सहित)

वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा

(क) सामान्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, विशेष परिस्थिति में निर्वाचन कार्यहित में एक से अधिक एजेंसियों से अथवा किसी भी एजेंसी से कार्य को कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
7. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
8. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित स्थल एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।
9. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
10. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति करने में COVID-19 के बचाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करना होगा।
11. जिस एजेंसी के द्वारा सर्वाधिक सामग्रियों के संबंध में दर न्यूनतम होगा, क्रय समिति द्वारा इस एजेंसी के सहमति की स्थिति में अन्य सामग्रियों के न्यूनतम दर पर कार्य हेतु चयन किया जा सकेगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. फर्म को बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar Shop & Establishment Act) के अर्न्तगत निबंधित होने का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
2. फर्म को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम (GST Act) के तहत निबंधित होने का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा माह मई 2020 तक का GST Return (3B) करने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा।
3. फर्म को आयकर संख्या (PAN No.) की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा तीन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आयकर जमा करने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा।
4. फर्म को कम से कम बिहार के किसी जिला में एक चुनाव वर्ष में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में कार्यादेश संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्ष में ₹25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
6. वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की विशिष्टियाँ (Specification) निम्नवत् है:-

(a) The voting compartments shall be made only of corrugated plastic sheet (flex-board) of steel grey colour, which is opaque and reusable. The thickness of corrugated flex board to be used for making Voting Compartment should be minimum 3 mm.

(b) The Voting Compartment shall be in three folds. each fold having dimension of 24"X24"X30" (Length X Width X Height). Increased height for 30" is mandatory.

(c) All the three sides of the voting compartments shall be printed as mentioned at Annexure-20 (Enclosed).

(d) If more than one BU is used for poll, the width of

7. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है। शपथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के समक्ष लिया गया हो।
8. निविदा निस्तार के समय वोटिंग कम्पार्टमेंट का नमूना लाना होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

1. सभी सामग्रियों का दर सभी कर (Tax) सहित देना होगा। अलग से किसी प्रकार का कोई कर (Tax) देय नहीं होगा।
2. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
3. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा।

29/9/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय

(Enclosed)

(Enclosed)